

## यू0 ओ0 नोट

**विषय:**—निरीक्षण विभाग के आंतरिक जाँच प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की अनुपालनायें भिजवाने बाबत।

**प्रसंग:**— निदेशक, निरीक्षण विभाग का पत्रांक प.6 (आई) /निरी/स्मरण/ 2019-20/13792 दिनांक 05.07.2019 एवं इस शाखा का पत्र क्रमांक 1518-19 दिनांक 27.06.2019

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख हैकि ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 16.08.2019 एवं इससे पूर्व की ऑडिट कमेटी बैठकों में आंतरिक जाँच प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों की अनुपालनायें लम्बी अवधि से बकाया होने को गंभीरता से लिया जा रहा है। साथ ही बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निस्तारण हेतु कैम्प आयोजित कराने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में बकाया आक्षेपों के निस्तारण हेतु निदेशक, निरीक्षण विभाग ने दिनांक 08.10.2018 को कैम्प का आयोजन तय किया गया था। किन्तु वांछित अनुपालनायें नहीं भिजवाने से कैम्प का आयोजन स्थगित करना पड़ा जो कि खेदजनक है। साथ ही प्रासंगिक पत्र द्वारा भी निदेशक, निरीक्षण विभाग ने इसे गंभीर मान कर बकाया आक्षेपों की अनुपालनायें 15 दिवस की अवधि में चाही है।

अतः इस संबंध में आपकी शाखा से संबंधित बकाया आक्षेपों की आक्षेपानुसार ठोस अनुपालना तैयार कर अनुपालनायें अविलम्ब उपलब्ध कराने का श्रम करावें ताकि प्रस्तावित आगामी कैम्प में अधिक से अधिक बकाया आक्षेपों का निस्तारण कराया जाना संभव हो। आप द्वारा वांछित अनुपालनायें उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे।

३०  
(ऋतु गुप्ता)  
वित्तीय सलाहकार, कृषि

.....  
मुख्यालय, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक:—प.3(iv)/आकृ/लेखा/आं.जॉ./2014-15/2020-22

जयपुर, दिनांक:— 18/7/19

✓ प्रतिलिपी:—

1. निजी सचिव, श्रीमान आयुक्त महोदय, कृषि, आयुक्तालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन) मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित शाखाओं से आप अपने स्तर से भी बकाया आक्षेपों की अनुपालनायें उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को भेज कर लेख है कि यू.ओ.नोट को कृषि विभाग की वैबसाइट पर उपलब्ध करावें।

✓  
वित्तीय सलाहकार, कृषि